

# ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर



सुरक्षा ठेका ई-निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम)  
(सुरक्षा कर्मी प्रदाय हेतु)

: निविदा आमंत्रणकर्ता :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित  
गोला का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) 474005

## :: तालिका ::

(INDEX)

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक 01 से 31 तक
(1)	कवर पेज	01
(2)	तालिका / ई-निविदा आमंत्रण सूचना	02 से 03
(3)	निविदा प्रपत्र 1 – कार्य का विवरण, नियम व शर्तें	04 से 13
(4)	निविदा प्रपत्र 2 (अ) तकनीकी अर्हताये	14 से 17
(5)	निविदा प्रपत्र – 02 (ब) तकनीकी अर्हताये संबंधी नियम व शर्तें	18 से 22
(6)	निविदा प्रपत्र – 03 भावपत्र	23
(7)	निविदा प्रपत्र – 04 दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र/पशु आहार संयंत्र की सूची	24
(8)	निविदा प्रपत्र – 05 अनुबंध पत्र	25 से 31

# ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर



## सुरक्षा ठेका ई-निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम)

(सुरक्षा कर्मी प्रदाय हेतु)

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के मुख्य डेयरी संयंत्र, गोला का मंदिर कार्यालय एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा कर्मी प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी/कम्पनी से Two bid system "दो बिड पद्धति" (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से ई-निविदा (प्रथम) आमंत्रित की जाती है। निविदा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी है।

इच्छुक निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रु. 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान कर दिनांक 09-02-2024 दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 01-03-2024 दोपहर 12:00 बजे तक निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय कर दिनांक 01-03-2024 को दोपहर 02:00 बजे तक ऑनलाईन अपलोड एवं जमा किये जावें तथा दिनांक 02-03-2024 दोपहर 03:00 बजे निविदा खोली जावेगी। किसी भी निविदा (निविदाओं) को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

ई-निविदा की संपूर्ण कार्यवाही [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर संपादित की जावेगी। निविदा संबंधी शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट [www.sanchigwalior.com](http://www.sanchigwalior.com) पर उपलब्ध है। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट्स पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा। अतः निरन्तर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
गोला का मंदिर, ग्वालियर- 474005

# कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र -01

4.2 निविदा आमंत्रण हेतु समय-सारणी :-		
1	निविदा प्रपत्र प्रकाशन की तिथि	08-02-2024
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	09-02-2024 दोपहर 12:00 बजे से
3	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	01-03-2024 दोपहर 12:00 बजे तक
4	निविदा ऑनलाईन अपलोड करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	01-03-2024 दोपहर 02:00 बजे तक
5	तकनीकी निविदा ऑनलाईन खोलने की तिथि एवं समय	02-03-2024 दोपहर 03:00 बजे
6	निविदा के साथ अनिवार्यतः ऑनलाईन जमा की जाने वाली धरोहर राशि (Earnest Money)	रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
8	निविदा वैधता अवधि	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक से 6 माह तक

5 निविदा की शर्तें :-	
1	ठेके पर सुरक्षा कर्मी प्रदाय करने हेतु म0प्र0 शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था/ डीजीआर से विधिवत पंजीकृत एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेन्सी जिसके पास किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यक संस्था में सुरक्षा कर्मी प्रदाय का विगत 5 वित्तीय वर्षों का अनुभव हो और जिसने न्यूनतम 200 दिन तक औसतन किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 सुरक्षा कर्मी एक ही संस्था में प्रतिदिन प्रदाय किये हों, ऐसे निविदाकारों की निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा।
2	अमानत राशि/अर्नेस्ट मनी रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख) ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर जमा अमानत राशि तीन माह के पश्चात बिना ब्याज के चैक द्वारा लौटाई जावेगी। निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबन्धन द्वारा कार्य की सूचना दिये जाने पर निर्धारित तिथि से कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो अर्नेस्ट मनी की राशि जप्त की जावेगी।
3	मध्य प्रदेश राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा में धरोहर राशि के भुगतान से छूट रहेगी तथा उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना होगा।
4	किसी एक निविदा या समस्त निविदाओं को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। मुख्य डेयरी संयंत्र के साथ-साथ दुग्ध शीत केन्द्रों में कार्य की आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मियों की संख्या समय-समय पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है। ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ, गोला का मंदिर कार्यालय एवं शीत केन्द्रों/पशु आहार संयंत्र भवन, गोडाउन, कार्यालय सम्पत्ति एवं परिसर की दिन-रात सुरक्षा व्यवस्था करेगा।
5	निविदायें खोलने के पश्चात यदि प्रबन्धन को दरें अधिक प्रतीत हों ओर वह आवश्यक समझें तो :- अ- न्यूनतम निविदाकर्ता से पुनः समझौता दरें प्राप्त कर सकता है। इस विषय में सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा एवं उनका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। ब- ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्टों में की जावेगी एवं होने वाली चोरी, नुकसान एवं सम्पत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित शाखा द्वारा अविलम्ब युक्ति-युक्त समय से सुरक्षा शाखा को दी जायेगी। घटना प्रकरण में संघ द्वारा जांच की जावेगी तथा जांच उपरान्त सुरक्षा शाखा के उत्तरदायी पाये जाने पर संघ द्वारा निर्धारित की गई हानि की राशि वसूल करने एवं ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी के विरुद्ध आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही करने में सक्षम होगा। (विभागीय जांच समिति में सुरक्षा एजेन्सी का प्रतिनिधि होगा)

6	<p>ग्वालियर डेयरी प्लांट में केन/क्रेट/ढक्कन की चोरी, पिलफ्रेज न हो इसकी जबाबदारी हेतु विशेष व्यवस्था निम्नानुसार लागू होगी :-</p> <p>(क) क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित स्थल पर (प्लांट, डाक, स्टोर या स्टोर डाक) व्यवस्थित रूप से रखी जावेगी जिसकी सम्पूर्ण निगरानी सुरक्षा एजेन्सी की होगी एवं बिना गेट पास या इंडेन्ट/रिटर्न स्लिप से कोई भी सामान क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित डाक से नीचे या स्टोर से बाहर नहीं ले जाई जायें एवं न ही अन्य प्रयोजनों में उपयोग में लाई जावे ।</p> <p>(ख) क्रेट/केन /ढक्कन की गणना करते समय सुरक्षा एजेन्सी को सूचित किया जावे । इस हेतु उन्हें अपना प्रतिनिधि देना अनिवार्य है एवं संबंधित डॉक/स्टोर पर गणना के समय सभी प्रकार की टूटी/फूटी क्रेट/केन/ढक्कन भी सम्मिलित की जावेगी ।</p> <p>(ग) डाक से क्रेट/केन/ढक्कन डेयरी संयंत्र से बाहर भेजते समय गिनती करवाने हेतु सुरक्षा एजेन्सी के प्रतिनिधि, वितरण शाखा के वितरण लिपिक एवं उत्पादन शाखा के प्रबन्धक (उत्पादन) उपस्थित होंगे । एक रजिस्टर वितरण लिपिक द्वारा रखा जावेगा एवं एक रजिस्टर प्रबन्धक (उत्पादन) द्वारा रखा जावेगा । (क्रेट एकाउन्ट रजिस्टर) एक रजिस्टर सुरक्षा शाखा के गेट पर रखा जावेगा ।</p> <p>उपरोक्त बाहर गये क्रेट/केन/ढक्कन डेयरी संयंत्र में वापसी के समय सुरक्षा शाखा के गेट पर सुरक्षा शाखा रजिस्टर में गिनकर रिकार्ड किये जावेंगे । साथ ही डेयरी प्लांट में इन क्रेट/केन/ढक्कन की वापसी रिकार्ड वितरण लिपिक एवं प्रबन्धक (उत्पादन) अपने रिकार्ड/रजिस्टर में रखेंगे । इन्द्राज अंकों एवं शब्दों में दोनों ही तरीकों से अंकित होगा । संबंधित पक्ष अपने पूर्ण हस्ताक्षर मय दिनांक के करेंगे ।</p> <p>सुरक्षा एजेन्सी को कार्य आवंटन के प्रथम दिवस पर ही संघ/शीत केन्द्र परिसर में उपलब्ध क्रेट/केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन करवाकर उसका चार्ज सुरक्षा एजेन्सी द्वारा लिया जावेगा तथा उनके आवक एवं जावक का समस्त रिकार्ड सुरक्षा एजेन्सी द्वारा रखा जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को समस्त क्रेट/केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन प्रबन्धक (उत्पादन) एवं वितरण लिपिक के समक्ष सुरक्षा एजेन्सी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा, जिसका मिलान सत्यापन एवं वितरण शाखा के अभिलेखों से किया जावेगा । इसमें कमी पाये जाने पर सुरक्षा एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं उसकी वसूली वर्तमान क्रय दरों से सुरक्षा एजेन्सी के अगले माह के देयकों से की जावेगी । (उत्पादन शाखा से सम्पादित कार्यों बाबत अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली संलग्न है)</p>
7	<p>ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं जमानत/धरोहर राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।</p>
8	<p>कान्ट्रेक्ट लेबर (रिग्युलेशन एण्ड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अन्तर्गत ठेकेदार के पास सुरक्षा कर्मी प्रदाय हेतु लायसेंस होना आवश्यक है तथा उसे समस्त अधिनियमों व प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा व भविष्य में होने वाले संशोधनों का भी पालन करना अनिवार्य होगा ।</p>
9	<p>म0प्र0 श्रम कल्याण निधि संशोधन अधिनियम -2012 के अनुसार ठेके के अन्तर्गत श्रम कल्याण निधि में प्रत्येक छः माह में प्रति सुरक्षा कर्मी अंशदान रुपये 10/- तथा नियोक्ता अंशदान रुपये 30/- जमा कराना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में रुपये 5000/- जुर्माना देय होगा । इसका पालन सुरक्षा ठेकेदार द्वारा किया जाना अनिवार्य है ।</p>
10	<p>सुरक्षा कर्मियों द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख-रखाव सुनिश्चित करना होगा एवं उनका समय-समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा ।</p>
11	<p>ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी यह सुनिश्चित करें कि स्टोर एवं उसके अन्दर या बाहर रखी सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे ।</p>
12	<p>ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी यह सुनिश्चित करें कि अनाधिकृत एवं निषेधित व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सके ।</p>
13	<p>ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि वे कार्यालय/संयंत्र परिसर में शांति बनाये रखें एवं कर्मचारियों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के झगड़े इत्यादि को रोके एवं कानूनी कार्यवाही करें । साथ ही आवश्यकतानुसार प्रशासन को अवगत करावे ।</p>

14	संघ परिसर में सुरक्षा कर्मियों द्वारा धूम्रपान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी ठेकेदार के ऊपर रुपये 500/- प्रति सुरक्षा कर्मी का दण्ड आरोपित किया जावेगा । सुरक्षा कर्मी द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जाये ।
15	संयत्र परिसर में कोई भी सुरक्षा कर्मी टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा संघ द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा अन्यथा रुपये 500/- प्रति सुरक्षा कर्मी प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा ।
16	ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक गत माह में लगाये गये सुरक्षा कर्मियों का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर सत्यापित बिल प्रबन्धन को प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान बिल प्रस्तुत करने की तिथि से 10 दिन की अवधि में प्रबन्धन की शर्तों के अन्तर्गत किया जावेगा । देयक के साथ प्रबन्धन द्वारा दिये गये प्रारूप में ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों के वेतन पत्रक संलग्न करना बैंक एकाउन्ट भुगतान आवश्यक है जिसमें प्रत्येक सुरक्षा कर्मी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटोत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटोत्रे दर्शाते हुये शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है । सुरक्षा एजेन्सी बिल के साथ सुरक्षा कर्मचारियों की सत्यापित उपस्थिति एवं विगत माह का भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न करेगी । यदि भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार किसी सुरक्षा कर्मचारी को कोई वेतन देय होता हे तो संघ प्रथम नियोक्ता के नाते बिल से कटोत्रा कर संबंधित को सीधे भुगतान की कार्यवाही करेगा । ठेकेदार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है एवं भविष्य निधि अंशदान तथा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान भुगतान तथा जी0एस0टी0 के गत माह के चालानों की प्रति बिल के साथ प्रस्तुत नहीं करता है तो संघ द्वारा ठेकेदार का सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोक दिया जावेगा और किसी भी प्रकार का सुरक्षा कर्मियों को भुगतान संबंधी इसके फलस्वरूप अवरोध आदि पैदा होता है (और यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलम्ब होता है) तो उसकी पूर्ण जबाबदारी ठेकेदार की होगी एवं प्रबन्ध पक्ष किसी भी प्रकार से जबाबदार नहीं रहेगा ।
17	ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी को कार्य हेतु प्रबन्ध उचित स्थान उपलब्ध करायेगा । संघ द्वारा बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्नीचर प्रदाय किया जावेगा ।
18	ठेके के दौरान सुरक्षा एजेन्सी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सुरक्षा एजेन्सी अपने कार्य पर नहीं ले सकेगी ।
19	एमपीसीडीएफ के भंडार क्रय विक्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020 (संशोधित) की कंडिका क्र. 9. 26 के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा ठेका सेवा हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। निविदाकारों हेतु औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में सेवा प्रदाय का 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। निविदा अवधि पूर्ण होने, सेवाएँ संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी ।
20	निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है । पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियाँ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी । निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद, आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । शपथ पत्र असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा ।
21	सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों का प्रतिमाह ईपीएफ/ईएसआई का अंशदान नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा एवं कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी बीमा कार्यालय में प्रतिमाह छःमाही/वार्षिकी रिटर्न जो वैधानिक तौर पर चालानों की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित प्रतिमाह संघ कार्यालय में जमा करनी होगी तथा मूल चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि "इस चालान की कुल राशि रुपये .....में ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ को प्रदाय किये गये कुल .....(संख्या) सुरक्षा कर्मियों के लिये जमा की गई राशि रुपये.....भी सम्मिलित है जिसकी प्रतिपूर्ति ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ से की जा चुकी है " इस आशय का मूल चालान के पीछे प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा तथा

	ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 के (ONLINE) आन लाईन जमा किये गये चालानों के लिये Computerized Online सुरक्षा कर्मियों की सूची प्रस्तुत करें जिससे सुरक्षा कर्मियों के नाम एवं ईपीएफ/ईएसआई नम्बर सम्मिलित हो सूची में से ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के नाम एवं ईपीएफ/ईएसआई नम्बर HIGH LIGHT किये जावें । इस हेतु सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा।.....(सुरक्षा ठेकेदार का नाम) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत ठेका सुरक्षा कर्मियों.... ..... संख्या) के लिये जमा की गई राशि रुपये .....की प्रतिपूर्ति ग्वालियर दुग्ध संघ से प्राप्त की गई है" का उल्लेख प्रत्येक मूल चालान में किया जाना आवश्यक है।
22	सुरक्षा कार्य हेतु प्रतिदिन प्रतिपाली प्रबन्धन की आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने होंगे । यदि अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होगी तो प्रशासन शाखा द्वारा ठेकेदार को यथा समय सूचना दी जावेगी । तदानुसार ठेकेदार को व्यवस्था करनी होगी। यदि व्यवस्था करने में ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जावेगी ।
23	ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी के कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबन्ध की सेवा शर्तों का पालन करना पड़ेगा । यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तथा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों तथा संघ के विरुद्ध धरना/आन्दोलन में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा । प्रबन्ध के निर्देशानुसार सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध सुरक्षा एजेन्सी द्वारा कार्यवाही करना अनिवार्य होगा एवं तत्काल उन्हें संघ परिसर से हटाना होगा अन्यथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सुरक्षा ठेका तत्काल समाप्त किया जा सकेगा तथा जमानत/धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी । इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति सुरक्षा कर्मी रुपये 1,000/- तक अर्थदण्ड लगाया जावेगा ।
24	ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में समस्त सुरक्षा कर्मियों की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं प्रति कर्मी हेतु समुचित व पर्याप्त राशि की समूह बीमा पॉलिसी वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी । ऐसी पॉलिसी सम्पूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है । ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पॉलिसी का नवीनीकरण तुरन्त कराना होगा । श्रम नियमानुसार समस्त वर्तमान प्रावधानों व भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन ठेकेदार को करना आवश्यक होगा । यदि कार्य करते समय किसी सुरक्षा कर्मी का एकसीडेंट हो जाये तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का खर्च ठेकेदार को देना होगा । प्रबन्ध पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
25	ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा लापरवाही या असन्तोषजनक कार्य से संघ को किसी प्रकार का नुकसान/हानि पहुँचाई जाती है तो उस स्थिति में संघ को हुये नुकसान/हानि की भरपाई/वसूली सुरक्षा एजेन्सी से की जावेगी तथा सुरक्षा ठेका भी तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
26	प्रबन्ध द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय-समय पर निर्देश दिये जावेंगे जिसका सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा तथा सुरक्षा अमले को रखने के पूर्व उनका पुलिस द्वारा सत्यापन आवश्यक होगा तथा उनकी नई पदस्थापना से पूर्व संघ से प्रशासनिक अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा ।
27	ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी प्रबन्ध की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार टाइम आफिस रिकार्ड रखने के लिये उत्तरदायी होगी ।
28	ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी प्रबन्ध के निर्देशानुसार दूध, दुग्ध पदार्थ, केन, क्रेट आने – जाने की डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को प्रबन्ध के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
29	सुरक्षा एजेन्सी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो प्रबन्ध को सुरक्षा ठेके को निरस्त करने तथा आर्थिक शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार होगा ।

30	सुरक्षा एजेन्सी परिसर में आवारा कुत्तो, बिल्ली एवं पशुओं को रोकने के लिये उत्तरदायी होगी । यदि ऐसा करने में वे विफल हुईं तो प्रबन्ध द्वारा प्रति प्रकरण रुपये 1000/- का सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना किया जाकर वसूल किया जावेगा ।
31	संघ द्वारा निर्धारित चालान/गेटपास /मांगपत्र आदि से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं अन्य सामग्री प्रदाय की जाती है । इसी प्रकार संघ में प्राप्त भी होती है उसका समुचित रिकार्ड रखा जाना होगा। यह सत्यापित किये जाने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी कि जो सामान गेटपास/चालान /मांगपत्र आदि में लिखा गया है उतनी ही सामग्री जाने या आने से कम या अधिक मात्रा होने पर जबावदारी ठेकेदार की होगी ।
32	किसी भी सुरक्षाकर्मी की उम्र 25 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए एवं कार्य करने वाले सुरक्षाकर्मी की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिये । इस संबंध में प्रबन्धन का निर्णय अंतिम होगा ।यदि प्रबन्ध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षा कर्मियों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 7.00 बजे से शाम 6.00 बजे के मध्य तक रहेगी । नवीन सुरक्षा एजेन्सी वर्तमान में कार्यरत सुरक्षा एजेन्सी के कर्मियों को कार्य पर नहीं रखेगी । - सुरक्षा एजेन्सी, कर्मचारियों के लिये निम्न अर्हताएँ निर्धारित की जाती हैं :- अ- सुरक्षा अधिकारी - एनसीओ, सूबेदार से कम रैंक न हो अथवा समकक्ष ब- सुरक्षा पर्यवेक्षक - नायक की रैंक से कम न हो अथवा समकक्ष । स- सुरक्षा गार्ड - एनसीसी प्रशिक्षित, आर.एस.एफ. जिसके पास प्रमाण पत्र एवं औद्योगिक सुरक्षा सेवा का अनुभव हो अथवा प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड 12 वीं पास द- गनमैन - गन रखे जाने का लाइसेंसधारी एवं पुलिस/मिलिट्री से रिटायर होने पर प्राथमिकता विजीटर को प्रभारी (सं0सं0)/सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश देंगे इसका समुचित रिकार्ड रखेंगे ।
33	निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार को धरोहर/जमानत राशि रुपये 15,00,000/- (रुपये पन्द्रह लाख) अनुबंध के समय जमा करनी होगी । तदोपरान्त प्रदायित सुरक्षा कर्मियों को भुगतान होने वाली न्यूनतम मजदूरी की एक माह की राशि यदि उक्त जमा धरोहर राशि से अधिक होती है तो अन्तर की राशि जमानत स्वरूप जमा करना अनिवार्य होगा । उक्त धरोहर राशि ठेका समाप्त होने के पश्चात संघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण पत्र एवं कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय आदि सम्पूर्ण ठेका अवधि की निरीक्षण टीप संघ में जमा कराने के पश्चात ही वापस की जावेगी । जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
34	मध्य प्रदेश राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा में धरोहर राशि के भुगतान से छूट रहेगी तथा उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना होगा ।
35	सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा कर्मियों की हाजिरी के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी का भुगतान हर माह की सात (07) तारीख के पूर्व बैंक एकाउन्ट के माध्यम से करना होगा जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी ठेकेदार की होगी । सुरक्षा कर्मियों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ठेकेदार द्वारा समस्त सुरक्षा कर्मियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है । ठेकेदार द्वारा सभी सुरक्षा कर्मियों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को सूचना दी जावेगी व उनका भुगतान बैंक के माध्यम से किया जावेगा ।
36	सुरक्षा एजेन्सी द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मियों को फैंक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, परिचय पत्र, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड ठेकेदार को पूरा रखना होगा एवं समय-समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
37	संयंत्र परिसर में धूम्रपान/मदिरापान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य में लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि करने पर संबंधित सुरक्षा कर्मी को पारिश्रमिक देय नहीं होगा तथा ऐसे सुरक्षा

	कर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध रुपये 5,000/- प्रति सुरक्षा कर्मियों अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा जिसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी एवं दोषी पाये गये सुरक्षा कर्मियों को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा ।
38	सुरक्षा एजेन्सी को ठेके के अन्तर्गत प्रदत्त सुरक्षा कर्मियों अच्छे आचरण एवं चरित्र के देना होंगे । उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो । यदि कोई सुरक्षा कर्मियों डेयरी संयंत्र परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो सुरक्षा ठेकेदार को ऐसे सुरक्षा कर्मियों को शीघ्र हटाना होगा । ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/ सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें । सुरक्षा एजेन्सी को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व पुलिस विभाग से सत्यापन कराना होगा एवं प्रबन्ध से अनुमति लेनी होगी ।
39	प्रत्येक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण वाहन में वितरण शीट/डी0एम0 में दर्शित मात्रा के अनुसार ही माल लोडिंग कराना सुरक्षा एजेन्सी को सुनिश्चित करना होगा । वितरण वाहन लोड होने के उपरान्त जांच करने पर यदि वाहन में दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मात्रा वितरण शीट/डी0एम0 से अधिक पाई जाती है तो अधिक पाये जाने वाली दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मात्रा की 50 गुनी राशि सुरक्षा एजेन्सी से वसूल की जावेगी ।
40	प्रबन्धन के निर्देशानुसार ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों की सामयिक चिकित्सा जांच करवानी होगी । उसके स्वयं के व्यय पर तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । कार्य पर लगाये गये सुरक्षा कर्मियों को वर्ष में दो बार टिटनेश का इंजेक्शन ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबन्धन को दी जाना आवश्यक होगी । ठेकेदार को सुरक्षा कर्मियों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिये । कार्य के दौरान यदि कोई सुरक्षा कर्मियों आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधाएं ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी ।
41	ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये सुरक्षा कर्मियों को एक निश्चित रंग की दो गणवेश (शर्ट, पैंट, जूते, टोपी, बेल्ट, नाम पट्टी इत्यादि) एवं परिचय पत्र अपने स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगा । यदि सुरक्षा कर्मियों निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो सुरक्षा कर्मियों ठेकेदार से रुपये 1000/- प्रति सुरक्षाकर्मियों प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा ।
42	समय-समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर ठेकेदार को तदनुसार सुरक्षा कर्मियों की मजदूरी का भुगतान करना होगा । ठेकेदार को उसके कर्मचारियों पर लागू होने वाले समस्त श्रम अधिनियमों व कारखाना अधिनियमों तथा अन्य वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है । यदि ठेकेदार इन नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिये किये गये व्यय की वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी ।
43	आयकर का PAN नम्बर तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 (कर निर्धारण वर्ष 2023-24) हेतु जमा किये गये रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा । ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटोत्रा कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष के समाप्ति उपरान्त ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटोत्रे का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा ।
44	सुरक्षा एजेन्सी को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों का प्रतिमाह ई.पी.एफ./ईएसआई का अंशदान नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा एवं चालान की प्रतिलिपि कर्मचारियों की सूची सहित प्रतिमाह संघ कार्यालय में जमा करनी होगी । सुरक्षा कर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में ठेकेदार विफल हो जाता है या भविष्य निधि, ई0एस0आई0 एवं सर्विस टैक्स आदि जमा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की जमानत/धरोहर राशि से या देय योग्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा । सुरक्षा ठेकेदार को प्रत्येक सुरक्षा कर्मियों के नाम से ई0पी0एफ0 खाता खोलकर उसमें ई0पी0एफ0 अंश जमा करना होगा । ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 के कटोत्रे का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा । प्रत्येक सुरक्षा कर्मियों का ई0एस0आई0 कार्ड बनवाकर एक माह में देना होगा । इस बाबत शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक सुरक्षा कर्मियों रुपये 1000/- की पेनाल्टी ठेकेदार पर लगाई जायेगी ।

45	सुरक्षा एजेन्सी को विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत बांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी । संविदा अधिनियम एवं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत बांछित प्रारूपों में जानकारी रखना ठेकेदार को आवश्यक होगा व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
46	सुरक्षा एजेन्सी को बोनस अधिनियम एवं अन्य वैधानिक दायित्वों का भुगतान स्वयं करना होगा अर्थात् इस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली राशि सुरक्षा कर्मियों को भुगतान करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा । उपरोक्त अधिनियम अन्तर्गत सुरक्षा कर्मियों को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।
47	निविदा शर्तों एवं अनुबंध में भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है । यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा । असहमति की दशा में तीन माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा जिसका पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा ।
48	श्रम नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम सुरक्षा कर्मियों को ठेकेदार द्वारा देना आवश्यक होगा । इसके लिये रिलीवर/एवजी की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी जिसके लिये प्रबन्धन द्वारा प्रथम से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा । पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ठेकेदार को सुरक्षा कर्मियों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुये मानव दिवस ( Mandays) के अनुसार भुगतान किया जावेगा ।
49	सुरक्षा कर्मियों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली में निरन्तर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है । श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की पाली नियमानुसार बदले ऐसा न पाया जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।
50	ठेकेदार को संघ के गेट पर कारखाना अधिनियम अन्तर्गत अनुशंसित सुरक्षाकर्मियों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रतिपारी में प्रदाय किये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों का विवरण उपलब्ध रहेगा । अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत कर्मचारी द्वारा मांगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा । ठेकेदार को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने होंगे ।
51	सुरक्षा ठेकेदार को ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ की नाम मात्र सदस्यता ग्रहण करनी होगी । इस हेतु राशि रुपये 100/- प्रतिवर्ष जमा कराना होगी किन्तु उसे किसी प्रकार का मताधिकार प्राप्त नहीं होगा ।
52	सुरक्षा ठेकेदार अथवा प्रबन्धन को ठेके की अवधि के मध्य तीन माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा ।
53	निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्च से अनुबंध पत्र हेतु रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा और अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसके पश्चात ही ठेकेदार का प्रथम देयक स्वीकृत कर भुगतान किया जावेगा ।
54	उपरोक्त लिखी हुई शर्तों व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है । यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो ठेका रद्द माना जावेगा एवं जमानत/धरोहर की राशि जप्त कर ली जावेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी जिसकी सम्पूर्ण जबाबदेही ठेकेदार की होगी ।
55	यदि सुरक्षा ठेके की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद को अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को सौंपा जावेगा । तदोपरांत आर्बीट्रेशन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी ।
56	किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई ग्वालियर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी ।
57	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जावेगा । लॉटरी के समय निविदाकार/उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।
58	निविदाकर्ताओं द्वारा 0 प्रतिशत सेवा शुल्क की दरें निविदा में प्रस्तुत करने की स्थिति में ऐसे निविदाकार की निविदा, एमपीसीडीएफ के भंडार क्रय विक्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020 (संशोधित) की कंडिका क्र. 9.27 के परिप्रेक्ष्य में अपात्र मानी जावेगी ।

59	जी0एस0टी0 का भुगतान आर.सी.एम. के तहत दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा। आपको जीएसटी के रूप में कोई राशि देय नहीं होगी।
60	यदि सुरक्षा ठेकेदार का मुख्यालय ग्वालियर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे ग्वालियर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना होगा तथा उसका पूर्ण पता प्रबन्धन को सूचित करना होगा।
61	वर्कर/मेन कम्पनशेसन एक्ट के तहत समूह दुर्घटना बीमा पॉलिसी (अधिकतम बीमा राशि रु. 10,00,000/- (रुपये दस लाख) प्रति सुरक्षा कार्य, सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ली जाकर कार्यालय को प्रस्तुत की जाना होगी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
ग्वालियर

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

नाम :- .....

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता :- .....

दूरभाष/मो.नं. :- .....

**उत्पादन शाखा से सम्पादित कार्यों बाबत अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली :-**

- 1- दुग्ध संकलन हेतु विभिन्न स्थानों पर जाने वाले टैंकर की पूर्ण प्रविष्टि की जावे तथा पिछली दिनांक में गये टैंकर की पूर्ण जानकारी दूसरे दिन निम्न दर्शाये फार्म में उत्पादन शाखा को प्रस्तुत की जावे :-

दिनांक	समय	टैंकर क्रमांक	स्थान जहाँ गये	वाहन चालक का नाम	हस्ताक्षर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	

- 2- विपणन शाखा द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वाहनों को अन्दर आने की व्यवस्था रखी जावे ।  
 3- प्रत्येक वितरण वाहन में वितरण शाखा द्वारा निर्धारित कर्मचारियों की संख्या से अधिक कर्मचारियों को गेट से अन्दर नहीं आने दिया जावे ।  
 4- वाहन सिक्युरिटी गार्ड की देखरेख में लोड होगा तथा चालान पर सुरक्षा गार्ड पूरा नाम लिखेगा, फिर हस्ताक्षर करेगा ।  
 5- गेट पर जा रही वितरण वाहन की पूर्ण जांच के बाद ही प्रविष्टि होगी । दिनांक, समय, चालान क्रमांक, पैकेट तथा क्रेट की संख्या, वाहन क्रमांक तथा पर्यवेक्षक का नाम हस्ताक्षर आदि ।  
 6- रिटर्न क्रेट्स लाने वाली वाहन को क्रम से एक समय में दो वाहन ही अन्दर आने दिया जावे । क्रेट की संख्या की गिनती कर उसे रिटर्न स्लिप दी जावे जिस पर सिक्युरिटी गार्ड, सिक्युरिटी सुपरवाइजर का पूरा नाम लिखा होगा एवं हस्ताक्षर होंगे । क्रेट की संख्या अंकों तथा शब्दों में होना आवश्यक है ।  
 7- डाक पर जो वाहन लोड की जावेगी उसे सुरक्षा गार्ड द्वारा गिना जावेगा उसके पश्चात वितरण शाखा का प्रतिनिधि गिनेगा । गिनने के पश्चात वाहन चालक को क्रेट प्राप्ति की पावती रिटर्न स्लिप तीन प्रतियों पर पूर्ण हस्ताक्षर कर दी जावेगी। वाहन चालक से बाहर जाते समय पावती एक प्रति सुरक्षा शाखा द्वारा ली जावेगी ।  
 8- प्रातः एवं शाम का प्राप्त रिटर्न क्रेट की जानकारी रजिस्टर में निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार दर्ज की जावेगी :-

दिनांक	समय	वाहन क्रमांक	चालान क्रमांक	क्रेट की संख्या	सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

- 9- पिछली दिनांक से प्राप्त क्रेट्स का रिकन्सीलेशन प्रतिदिन उत्पादन शाखा में उपलब्ध वितरण शाखा के रिकार्ड से करवाया जावेगा ।  
 10- क्रेट्स का उपयोग केवल दूध एवं दूध के पदार्थ रखने हेतु हैं अन्य कार्यों के लिये अन्य शाखा द्वारा इसका उपयोग वर्जित है तथा डाक से नीचे क्रेट्स ले जाते हुये किसी कर्मचारी को देखा जावे तो तुरन्त रोका जावे ।  
 11- मुख्य डेयरी संयंत्र से दुग्ध शीत केन्द्रों व अन्य स्थानों पर भेजी जाने वाली एवं प्राप्त की जाने वाली डाक एवं अन्य सामग्री की प्रविष्टि कर उसका समुचित रिकार्ड रखना आवश्यक होगा ।  
 12- डेयरी संयंत्र से अन्य स्थानों या शीत केन्द्रों पर भेजी जाने वाली डाक व अन्य सामग्री संबंधित वाहन चालकों को सुपर्द कराकर रसीद प्राप्त करेंगे ।  
 13- क्रेट्स का भौतिक सत्यापन प्रतिदिन प्रातः वितरण के बाद तथा घी कक्ष का प्रातः 8.00 बजे प्रबन्धक (सं0सं0) द्वारा किया जावेगा । यह सत्यापन न्यूनतम सुरक्षा पर्यवेक्षक स्तर के कर्मियों द्वारा किया जावेगा ।  
 14- भण्डार में वापस की जाने वाली समस्त सामग्री की सुरक्षा गार्ड द्वारा सत्यापित कर हस्ताक्षर किये जावेंगे ।

- 15- घी कक्ष का कार्य समाप्त होने पर उसे सील किया जाता है इस कार्य हेतु सुरक्षा पर्यवेक्षक स्तर का अधिकारी उपस्थित रहेगा ।
- 16- घी कक्ष से तथा डी0एम0 पर इश्यू होने वाले समस्त डी0एम0 पर सुरक्षा गार्ड जांच कर हस्ताक्षर करेगा ।
- 17- घी शाखा या भण्डार से वाहन लोड होते समय सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहेगा तथा वाहन लोड होने पर डी0एम0 से चैक कर डी0एम0 पर हस्ताक्षर करेगा ।
- 18- बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को गेट के अन्दर नहीं जाने दिया जावे । समस्त आगन्तुक एवं कर्मचारी मैनगेट से आए/जाए ।
- 19- बाहरी व्यक्तियों के दो पहिया/चार पहिया वाहनों को गेट से अन्दर नहीं आने दिया जावेगा ।
- 20- उत्पादन शाखा के कर्मचारियों की ड्यूटी पारी अनुसार रहती है । निर्धारित लंच अवधि के अलावा उन्हें गेट से बाहर जाने पर रोक लगाई जावे । यदि ड्यूटी में लंच अवधि के अलावा कोई कर्मचारी बाहर घूमता हुआ पाया जावेगा तो सिव्युरिटी कार्य में लापरवाही मानी जावेगी ।
- 21- ठेकेदार के श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही अन्दर जाने दिया जावे ।
- 22- अनाधिकृत व्यक्तियों को डेरी परिसर में नहीं आने दिया जावे ।
- 23- दुग्ध की बोतल जो अन्य उपयोग में लाई जाती है पर नियंत्रण किया जावे ।
- 24- यदि कोई व्यक्ति डी0एम0 के साथ खाली क्रेट लेकर आता है तो डी0एम0 के पीछे या अलग से एक स्लिप पर गेट पर ही लिखकर दिया जावे कि व्यक्ति के साथ कितनी क्रेट हैं ।
- 25- प्रत्येक दिन बाहर गये एवं अन्दर आये क्रेट/केन के रिकार्ड विपणन शाखा, उत्पादन शाखा एवं सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा रखे गये रजिस्ट्रों के अनुसार रिकन्सीलेशन किया जावेगा । प्रतिदिन प्रातः रिटर्न आने से पूर्व सुरक्षा एजेन्सी के सुपरवाइजर, प्रबन्धक (सं0सं0) एवं विपणन लिपिक डेयरी में बचे हुये क्रेट/केन का भौतिक सत्यापन करेंगे । यदि सुरक्षा एजेन्सी का कर्मचारी अनुपस्थित होगा तो वे इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे व वस्तुस्थिति उन पर बन्धनकारी होगा ।
- 26- उक्त प्रक्रिया के अनुसार यदि किसी प्रकार क्रेट/केन के रिकार्ड की तुलनानुसार कोई कमी आती है तो उसके लिए सुरक्षा एजेन्सी पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है तथा तत्काल इसकी सूचना लेखा शाखा एवं प्रशासन शाखा को दी जावेगी । प्रशासन शाखा के माध्यम से ही संबंधित कटोत्रा किये जावेंगे । कटोत्रे की राशि सामग्री के वर्तमान क्रय मूल्य के आधार पर निर्धारित की जावेगी ।
- 27- सुरक्षा एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को बर्दी/प्रोटेक्टिव गारमेंटस् एवं परिचय पत्र उपलब्ध कराये जावेंगे, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके ।

### निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :- नाम :- .....

दिनांक :- पत्राचार हेतु पता :- .....

दूरभाष / मो.नं. :- .....

# कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र -02 (अ)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.  
ग्वालियर।

महोदय,

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, गोला का मंदिर कार्यालय एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में सुरक्षा कार्य को संपादित करने के लिये ठेके पर सुरक्षा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु दिनांक ..... को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) राशि रूपये 3,00,000/- (रु. तीन लाख मात्र) को Online जमा कर पावती निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ एवं तकनीकी अर्हताये के लिये प्रमाण पत्र के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

## अनिवार्य तकनीकी अर्हताये

क्र०	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण दें	दस्तावेज संलग्न के पृष्ठों का विवरण
(1))	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण पत्र)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाण पत्र।	है/नहीं	
2	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	है/नहीं	
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	है/नहीं	
4	सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक।	मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग द्वारा प्रतिदिन 50 श्रमिक प्रदाय किये जाने हेतु सुरक्षा कर्मी प्रदाय लायसेन्स की प्रमाणित प्रति।	है/नहीं	
5	कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं.।	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है/नहीं	
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं.।	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	है/नहीं	

7	जी.एस.टी. पंजीयन कोड।	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।	है/ नहीं	
8	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-2023 का आयकर का रिटर्न जमा करने का प्रमाण।	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं प्रमाण।	है/ नहीं	
9	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-2023 का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष राशि रुपये एक करोड़ पचास लाख से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।	Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते (Profit & Loss A/C) की प्रमाणित छायाप्रति तथा ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी ए/ 3 सी बी (जो भी लागू हो) एवं 3 सी डी)।	है/ नहीं	
10	औद्योगिक संस्थानों/ दुग्ध संघों/ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में गत 05 वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-2023 में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-2023 में प्रति वित्तीय वर्ष में किसी औद्योगिक संस्थानों/ दुग्ध संघों/ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 सुरक्षा कर्मी एक ही संस्था में प्रतिदिन प्रदाय किये हों (संस्था का नाम व पता जहाँ श्रमिक प्रदाय किये गये हों)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं सफलतापूर्वक एवं संतोषजनक कार्य सम्पदित किये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।	है/ नहीं	
11	एजेंसी के पास सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग हेतु "निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम 2005" के तहत मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "ट्रेनिंग सेन्टर" का लाइसेंस/पंजीकरण अथवा किसी और संस्था की "MOU" होना अनिवार्य है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।	है/ नहीं	
12	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-2023 में जमा कराये गये ई.पी.एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/ नहीं	

13	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-2023 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति।	है/ नहीं	
14	श्रम कल्याण निधि श्रम नियम अनुसार शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-2023 में जमा कराये गये श्रम कल्याण निधि राशि के चालानों की प्रमाणित प्रति।	है/ नहीं	
15	कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन /लंबित न होने का शपथ-पत्र।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/ नहीं	
16	क्या निविदाकर्ता का ग्वालियर शहर में कार्यालय है।	यदि हाँ, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	है/ नहीं	
17	क्या आपकी संस्था ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।	है/ नहीं	
18	क्या आपकी संस्था का किसी शासकीय संस्था/निगम मण्डल/ औद्योगिक संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ /इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/भोपाल /बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।	है/ नहीं	
19	क्या आपकी संस्था का एम.पी.सी.डी.एफ /इन्दौर/ उज्जैन/जबलपुर/ भोपाल /बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ, ई.एस.आई एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. का कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ( राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/ नहीं	
20	क्या उक्त संस्थाओं में पूर्व में आपकी निविदा स्वीकृत होने के उपरांत अवधि पूर्ण होने के पूर्व निरस्त की गई है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।		
21	क्या किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में नामांकित किया गया है ?	यदि काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है, तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ( राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/ नहीं	

22	ईएमडी राशि	निर्धारित अनुसार राशि रु 03.00 लाख (रूपये तीन लाख) ऑनलाइन जमा रसीद की छाया प्रति/एम.एस.एम.ई के अन्तर्गत छूट प्राप्त की गई है। तो म.प्र. राज्य में स्थापित संस्थान का प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति संलग्न करें।	हाँ/नहीं	
----	------------	---	----------	--

मैंने निविदा आमंत्रण सचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ।

### निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :- नाम :- .....

दिनांक :- पत्राचार हेतु पता :- .....

दूरभाष/मो.नं. :- .....

- ❖ तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश व शर्तें :-

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., ग्वालियर को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 15, 19 एवं 21 हेतु पृथक-पृथक शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शपथ पत्रों की छाया प्रति **original upload** करने के साथ मूल शपथ पत्र निविदा जमा करने की अंतिम तिथि/समय एक कार्यालय में जमा करें। अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।
2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।
3. ऑनलाईन जमा की गई **EMD** राशि की पावती, "निविदा की सामान्य शर्तें" प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) "तकनीकी अर्हतायें" में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति तथा तकनीकी अर्हताओं के बिन्दुओं से संबंधित ऑनलाईन जमा दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एक लिफाफे में डालकर निविदा का संदर्भ अंकित करते हुये "सुरक्षाकर्मी प्रदाय ठेका ई-निविदा (प्रथम)" लिखा जावे एवं निविदाकार का नाम एवं पूर्ण पता भी लिखा जावे। **इस लिफाफे को सील बंद लिफाफे में डालकर ग्वालियर दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 01-03-2024 को दोपहर 02:00 बजे तक अनिवार्यतः जमा करना होगा। ऑनलाईन अपलोड किये गये दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं किये जावेंगे।**
4. निविदाकार को ऑनलाईन जमा की गई **EMD** राशि की पावती, "निविदा की सामान्य शर्तें" प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) "तकनीकी अर्हतायें" में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति की स्कैन कॉपी एवं भाव पत्र (प्रपत्र क्रमांक 03) को ही ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा। किन्तु निविदा प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में वर्णित तकनीकी अर्हताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 03 में वर्णित अनुसार ऑफलाइन (भौतिक रूप से) जमा कराना होगा।
5. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें। निविदाकार द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत करने पर उपरोक्त निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
6. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दरें ऑनलाईन खोली जायेंगी।

7. कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ-साथ ई.पी.एफ चालानों पर अंकित श्रमिकों की संख्या को भी आधार माना जायेगा।
8. निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा तथा इस हेतु निर्धारित अर्हताओं के संलग्न दस्तावेजों में पृष्ठ क्रमांक अंकित कर प्रपत्र 02 (अ) के कालम क्रमांक 05 में उक्त पृष्ठ क्रमांक दर्शाया जाना अनिवार्य है।
9. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारीयों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (Earnest Money) राजसात की जावेगी।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
ग्वालियर**

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

**निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील**

स्थान :-	नाम	:- .....
दिनांक :-	पत्राचार हेतु पता	:- .....
	दूरभाष/मो.नं.	:- .....

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 15 के संबंध में राशि रू 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

### शपथ-पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....  
(पंजीयन क्रमांक)..... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ..... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरुद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान: .....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

### सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....  
(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ  
कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान: .....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 19 के संबंध में राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

### शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....  
.....(पंजीयन क्रमांक).....

शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ..... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .....के विरुद्ध शासकीय का अशासकीय संस्था/निगम मण्डल/औद्योगिक संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/ इन्दौर/उज्जैन/ जबलपुर/भोपाल/बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान: .....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

### सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....  
.....(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान: .....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 21 के संबंध में राशि रू 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

### शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....  
(पंजीयन क्रमांक)..... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म ..... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .....को किसी शासकीय संस्था/निगम मण्डल/औद्योगिक संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान: .....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

### सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....  
(पता).....शपथकर्ता  
सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान: .....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र-03

“भाव पत्र/दर”

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :-

क्र	विवरण
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
5	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रू. 10,00,000=00 प्रति सुरक्षा कर्मी)
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान

नोट:-

1	ठेकेदार को मानव दिवस (Mandays) के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2.	‘अ’ मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति सुरक्षा कर्मियों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्न मदों में संघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि जमा करायी जावेगी :-

क्र	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान - सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर ।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान - सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर ।
3	जी.एस.टी का भुगतान आर.सी.एम. के तहत दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा । सुरक्षा ठेकेदार को जी.एस.टी. के रूप में कोई राशि देय नहीं होगी ।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :-  
(केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें)

क्र	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1.	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	

नोट :- 0 % (शून्य प्रतिशत) भरने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेंगी ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :- नाम :- .....

दिनांक :- पत्राचार हेतु पता :- .....

दूरभाष / मो.नं. :- .....

# कार्यालय ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

प्रपत्र-04

सफल निविदाकार को ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के मुख्य डेयरी संयंत्र बानमोर, गोला का मंदिर कार्यालय, पेट्रोल पम्प गोला का मंदिर एवं पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी में सुरक्षा कर्मी प्रदाय करना है, उपरोक्त का विवरण निम्नानुसार है।

- (अ) मुख्य डेयरी संयंत्र बानमोर, जिला-मुरैना (म0प्र0)।
- (ब) गोला का मंदिर कार्यालय।
- (स) सॉची पेट्रोल पम्प ग्वालियर।
- (द) पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित  
ग्वालियर

## :: अनुबंध पत्र ::

आज दिनांक ----- को यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर जो इस अनुबंध में प्रथम पक्ष कहलायेगें तथा मेसर्स .....  
...जिला ....., जो कि अनुबंध में द्वितीय पक्ष कहलायेगें, के मध्य ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर, डेयरी संयंत्र बानमोर, गोला का मंदिर कार्यालय, साँची पेट्रोल पम्प एवं पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी पर सुरक्षा कार्य हेतु सुरक्षा कर्मी प्रदाय करने के लिये द्वितीय पक्ष द्वारा श्रमिक ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिये यह अनुबंध निम्न शर्तों पर निष्पादित किया जाता है :-

- 1- यह ठेका तीन वर्ष की अवधि दिनांक ..... से ..... तक के लिये होगा। ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार तीन माह या अधिकतम दो वर्ष के लिये पूर्व स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर प्रबन्ध पक्ष द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।
- 2- सुरक्षा ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं हुआ तो उसका ठेका निरस्त करने का एवं अमानत राशि जप्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध पक्ष को होगा।
- 3- यदि प्रबन्ध पक्ष प्रशासनिक दृष्टि से या अन्य कारणों से सुरक्षा ठेकेदार को आवंटित सुरक्षा ठेका समाप्त करना चाहता है तो सुरक्षा ठेकेदार को तीन माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी कारणवश सुरक्षा ठेकेदार उसे सौंपा गया कार्य सम्पादित नहीं कर सकता है तो वह एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने हेतु कह सकता है।
- 4- सुरक्षा ठेकेदार को सुरक्षा कर्मियों के बैंक खाते अनिवार्य रूप से खुलवाने होंगे एवं सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख के पूर्व गत माह में नियोजित समस्त सुरक्षा कर्मियों का वेतन अनिवार्य रूप से बैंक में भेजना होगा। इस हेतु सुरक्षा ठेकेदार को हाजिरी का सत्यापन संबंधित विभाग के अधिकारी से कराना होगा तथा संबंधित विभाग की हाजिरी सत्यापन के बाद ही उसके अनुसार भुगतान करना होगा।

प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भुगतान कर सुरक्षा ठेकेदार को देयक संबंधित विभाग से सत्यापित करवाकर उपस्थिति पत्रक तथा भुगतान किये गये पत्रक के साथ दो प्रतियों में कार्मिक एवं प्रशासन विभाग में 07 तारीख के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार को वेतन पत्रक में वैधानिक एवं अन्य कटौती का विवरण सम्पूर्ण रूप से दर्शाना आवश्यक होगा तथा वैधानिक कटौती जैसे ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं जी0एस0टी0 नियमानुसार जमा करना आवश्यक होगा। चालान की छाया प्रतियों प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त ही ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 के अंशदानों की राशि का भुगतान सुरक्षा ठेकेदार को किया जावेगा।

- 5- सुरक्षा ठेकेदार को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. काटकर नियोक्ता के अंशदान सहित ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. खाते में जमाकर चालान की छाया प्रतियां एवं श्रमिकों के नाम की सूची प्रत्येक माह की 20 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये ई.पी.एफ.के कटौती का विवरण भी चालानों के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसमें श्रमिकों का भविष्य निधि खाता क्रमांक, काटी गयी राशि का विवरण होगा। चालानों की छाया प्रतियां तथा उपरोक्तानुसार विवरण प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त ही ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. के अंशदानों की राशि का भुगतान सुरक्षा ठेकेदार को किया जावेगा। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उपरोक्तानुसार वैधानिक अंशदानों को निर्धारित अवधि में जमा करने में चूक की जाती है तो तत्काल संबंधित विभागों को सूचित कर दिया जावेगा एवं ऐसी स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जावेगी उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

- 6— शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर तदनुसार सुरक्षा कर्मियों को मजदूरी का बढ़े हुए दर से भुगतान करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य सभी स्वत्वों का भुगतान करें ।
- 7— प्रबंध पक्ष द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को कार्य आवंटित किये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार को आवंटित ठेके के एक माह के देयक की राशि अथवा रूपये 15,00,000/—(रूपये पंद्रह लाख ) जो भी अधिक हो अमानत स्वरूप एक मुश्त जमा कराना होगी तथा अमानत (धरोहर) राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा । देयक का आंकलन प्रत्येक तीन माह में किया जावेगा ।
- 8— सुरक्षा ठेकेदार द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मियों को फेक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, फोटो परिचय पत्र कार्ड, अवकाश कार्ड एवं निर्धारित वेतन कार्ड मय फोटो आदि के देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना होगा तथा उनका व्यवस्थित रिकॉर्ड सुरक्षा ठेकेदार को स्वयं रखना होगा, जिसे समय-समय पर शासन के निरीक्षकों को सत्यापन कराना होगा ।
- 9— लेबर एक्ट एवं श्रमिक नियमों के अनुसार (शासन के नियमानुसार) मजदूरों के कटोत्रे करने, संबंधित रिकार्ड एवं राशि भरने हेतु सरकारी खजाने में जमा करने या उसे श्रमिकों को वापिस करने आदि सभी कार्य नियमानुसार करने की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। यदि सुरक्षा ठेकेदार नियमानुसार उक्त राशि जमा नहीं करता है तो ऐसी राशि पेनल्टी (दण्ड) सहित संबंधित कार्यालय में जमा कराने की कार्यवाही प्रबंध पक्ष द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को देय भुगतान से काटकर की जावेगी।
- 10— यदि कार्य करते समय किसी सुरक्षा कर्मियों का एक्सीडेन्ट हो जाये तो ऐसी परिस्थिति में वर्कसमैन कम्पनशेसन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों व अन्य दावों आदि का खर्च सुरक्षा ठेकेदार को देना होगा ।
- 11— फ़ैक्ट्री एक्ट, पेमेन्ट ऑफ वेजेस एक्ट, ग्रेज्यूटी एक्ट, भविष्य निधि ई.एस.आई., बोनस एक्ट आदि के अन्तर्गत समय-समय पर दिये जाने वाले हक एवं बढ़ाई गई मजदूरी की राशि, उसके कटोत्रों एवं अंशदान का नियमानुसार भुगतान का दायित्व सुरक्षा ठेकेदार का ही रहेगा तथा सुरक्षा ठेकेदार कार्य पर रखे गये सुरक्षा कर्मियों की मजदूरी का भुगतान बैंक खाते में करेगा एवं उक्त भुगतान किये गये बिल की एक प्रति प्रबंध पक्ष को देना अनिवार्य होगी तथा भुगतान समय पर होने के उपरान्त ही प्रबंध पक्ष द्वारा उसे देय राशि का भुगतान एवं आगामी बिल स्वीकृत किया जावेगा अन्यथा नहीं ।
- 12— सुरक्षा कर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में सुरक्षा ठेकेदार निष्फल हो जाता है तथा भविष्य निधि आदि जमा नहीं करता है तो ऐसी रकम सुरक्षा ठेकेदार की जमानत राशि में से या देय योग्य राशि में से प्रबंध पक्ष सुरक्षा कर्मियों को ठेकेदार के नाम से चुका देगा और शेष राशि वापिस करेगा या ज्यादा राशि हो तो सुरक्षा ठेकेदार से वसूल करेगा ।
- 13— सुरक्षा कर्मियों स्वच्छ गणवेश एवं प्रोटेक्टिव गारमेंट्स पहनकर आये ऐसी व्यवस्था सुरक्षा ठेकेदार को करनी होगी, जिसका दुग्ध संघ द्वारा कोई भुगतान सुरक्षा ठेकेदार को नहीं किया जावेगा ।
- 14— दुग्धालय में धूम्रपान/मदिरापान/गुटखा का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा ठेकेदार के लगाये सुरक्षा कर्मियों द्वारा उपरोक्त वर्णित कृत्यों में से कोई कृत्य/कृत्यों को किया जाता है तो प्रबंध पक्ष को स्वविवेक से जुर्माना करने का अधिकार होगा, जिसकी वसूली सुरक्षा ठेकेदार से की जावेगी तथा सुरक्षा कर्मियों को तत्काल कार्य से सुरक्षा ठेकेदार द्वारा हटाया जावेगा ।
- 15— सुरक्षा ठेकेदार को जो कार्य सम्पन्न करने बावत निर्देश दिये गये हैं उन निर्देशों के अनुसार यदि वह कार्य करने में असफल रहता है अथवा लापरवाही करता है तो ऐसी स्थिति में प्रति प्रकरण प्रबंध पक्ष रूपये 1000/—(रूपये एक हजार) केवल तक का जुर्माना कर उसकी भरपाई उनके देयक प्रतिभूति राशि आदि से की जा सकेगी ।

- 16— सुरक्षा ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् 15 दिन की अवधि में समस्त सुरक्षा श्रमिकों के जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं के बैंक खाते बैंक में अनिवार्यतः खुलवाने होंगे । समूह बीमा (ग्रुप इश्योरेन्स) पालिसी वर्कमैन कम्पनशेसन एक्ट के अन्तर्गत लेनी होगी, तथा उसकी एक प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करानी होगी ऐसी पॉलिसी सम्पूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील होना जरूरी है ।
- 17— चोरी/दूध पीना/मख्वन खाना या अन्य कोई दुग्ध पदार्थ चोरी करके खाने या ले जाने पर ऐसे सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा ठेकेदार तत्काल कार्य से हटायेगा तथा ऐसी घटनाओं पर प्रबंध पक्ष सुरक्षा ठेकेदार पर स्वविवेकानुसार शास्ति कर सकेगा व सुरक्षा ठेकेदार संबंधित व्यक्ति को कार्य पर नहीं रखेगा ।
- 18— सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गये सुरक्षा कर्मियों का एक रजिस्टर बनाया जावेगा, जिससे सुरक्षा कर्मियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहेगी किसी भी नये सुरक्षा कर्मियों को नियुक्ति या पुराने सुरक्षा कर्मियों के कार्य पर से छोड़े जाने की तिथि रजिस्टर में अंकित करना होगी इस रजिस्टर को माँगने पर सुरक्षा ठेकेदार प्रबंध पक्ष को उपलब्ध करायेगा ।
- 19— प्रबंध पक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार एवं नियमानुसार रिकॉर्ड/ रजिस्टर सुरक्षा ठेकेदार को अपने पास रखकर उसमें जानकारी उल्लेखित की जावेगी तथा जिसे समय-समय पर प्रबंध पक्ष को दिखाना होगा एवं शासन के निरीक्षकों के निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करना होगा ।
- 20— मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के गलत भुगतान की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार पर होगी । प्रबंध पक्ष इस संबंध में किसी प्रकार से जबाबदार नहीं होगा ।
- 21— किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई ग्वालियर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगी ।
- 22— सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे हुये सुरक्षा कर्मियों की संख्या एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन शाखा के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक बिल के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । प्रबंध पक्ष द्वारा वांछित किसी भी जानकारी हेतु सुरक्षा ठेकेदार उसे देने के लिये वाध्य होगा। निर्धारित समय में वांछित जानकारियों उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रबंध पक्ष स्वेच्छा से शास्ति आरोपित कर वसूल कर सकेगा ।
- 23— सुरक्षा ठेकेदार की यह भी जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों किसी भी प्रकरण पर सामूहिक रूप से प्रबंध पक्ष के किसी भी अधिकारी के पास अपनी मांग लेकर नहीं आवेंगे। सुरक्षा ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि प्रत्येक शिफ्ट में जब तक कार्य चलता है उपस्थित रहेगा। यदि सुरक्षा ठेकेदार के सुरक्षा कर्मी कार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उसकी जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी, तथा प्रबंध पक्ष तत्काल यह ठेका निरस्त कर सकेगा, जिसका सुरक्षा ठेकेदार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 24—(अ) ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्टों में की जावेगी एवं सभावित होने वाली चोरी नुकसान एवं सम्पत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी । किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना संबंधित शाखा द्वारा अविलम्ब युक्ति-युक्त समय से सुरक्षा ठेकेदार को दी जावेगी । घटना प्रकरण में संघ द्वारा जांच की जावेगी तथा जांच उपरान्त सुरक्षा ठेकेदार के उत्तरदायी पाये जाने पर संघ द्वारा निर्धारित की गई हानि की राशि वसूल करने एवं ठेकेदार/सुरक्षा एजेन्सी के विरुद्ध आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही करने में सक्षम होगा । (विभागीय जांच समिति में सुरक्षा एजेन्सी का प्रतिनिधि होगा )

(ब) ग्वालियर डेरी प्लांट में केन/क्रेट/ढक्कन की चोरी, पिलफ्रेज न हो इसकी जबाबदारी हेतु विशेष व्यवस्था निम्नानुसार लागू होगी :-

- (क) क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित स्थल पर (प्लांट, डाक, स्टोर या स्टोर डाक) व्यवस्थित रूप से रखी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण निगरानी सुरक्षा एजेन्सी की होगी एवं बिना गेट पास या इंडेन्ट/रिटर्न स्लिप से कोई भी सामान क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित डाक से नीचे या स्टोर से बाहर नहीं ले जाई जाये एवं न ही अन्य प्रयोजनों में उपयोग में लाई जावे ।
- (ख) क्रेट/केन/ढक्कन की गणना करते समय सुरक्षा एजेन्सी को सूचित किया जाएगा । इस हेतु उन्हें अपना प्रतिनिधि देना अनिवार्य है एवं संबंधित डॉक/स्टोर पर गणना के समय सभी प्रकार की टूटी-फूटी क्रेट/केन/ढक्कन भी सम्मिलित की जावेगी ।
- (ग) डाक से क्रेट/केन/ढक्कन डेरी संयंत्र से बाहर भेजते समय गिनती करवाने हेतु सुरक्षा एजेन्सी के प्रतिनिधि, वितरण शाखा के वितरण लिपिक एवं उत्पादन शाखा के प्रबन्धक (उत्पादन) उपस्थित होंगे । एक रजिस्टर वितरण लिपिक द्वारा रखा जावेगा एवं एक रजिस्टर प्रबन्धक (उत्पादन) द्वारा रखा जावेगा । (क्रेट एकाउंट रजिस्टर) एक रजिस्टर सुरक्षा शाखा के गेट पर रखा जावेगा ।

उपरोक्त बाहर गये क्रेट/केन/ढक्कन डेरी संयंत्र में वापसी के समय सुरक्षा शाखा के गेट पर सुरक्षा शाखा रजिस्टर में गिनकर रिकार्ड किये जावेंगे । साथ ही डेरी प्लांट में इन क्रेट/केन/ढक्कन की वापसी रिकार्ड वितरण लिपिक एवं प्रबन्धक (उत्पादन) अपने रिकार्ड/रजिस्टर में रखेंगे । इन्द्राज अंकों एवं शब्दों में दोनों ही तरीकों से अंकित होगा । संबंधित पक्ष अपने पूर्ण हस्ताक्षर मय दिनांक के करेंगे ।

सुरक्षा एजेन्सी को कार्य आवंटन के प्रथम दिवस पर ही संघ/शीत केन्द्र परिसर में उपलब्ध क्रेट/केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन करवाकर उसका चार्ज सुरक्षा एजेन्सी द्वारा लिया जावेगा तथा उनके आवक एवं जावक का समस्त रिकार्ड सुरक्षा एजेन्सी द्वारा रखा जाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को समस्त क्रेट/केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन प्रबन्धक (उत्पादन) एवं वितरण लिपिक के समक्ष सुरक्षा एजेन्सी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा, जिसका मिलान सत्यापन एवं वितरण शाखा के अभिलेखों से किया जावेगा । इसमें कमी पाये जाने पर सुरक्षा एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं उसकी वसूली वर्तमान क्रय दरों से सुरक्षा एजेन्सी के अगले माह के देयकों से की जावेगी । (उत्पादन शाखा से सम्पादित कार्यों बाबत अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली संलग्न है )

- 25— कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एण्ड ऐबालीशन) एक्ट 1970 के अन्तर्गत ठेकेदार के पास सुरक्षा कर्मी प्रदाय हेतु लायसेंस होना आवश्यक है तथा उसे समस्त अधिनियमों के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा व भविष्य में होने वाले संशोधनों का भी पालन करना अनिवार्य होगा ।
- 26— सुरक्षा एजेन्सी यह सुनिश्चित करें कि अनाधिकृत एवं निषेधित व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सके । विजीटर को प्रभारी (सं0सं0)/ सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश देंगे तथा इसका समुचित रिकार्ड रखेंगे ।
- 27— सुरक्षा एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि वे कार्यालय/संयंत्र परिसर में शांति बनाये रखें एवं कर्मचारियों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के झगड़े इत्यादि को रोकें ।
- 28— ठेके के दौरान सुरक्षा एजेन्सी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ/ एमपीसीडीएफ के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सुरक्षा एजेन्सी अपने कार्य पर नहीं ले सकेगी ।

- 29— सुरक्षा एजेन्सी प्रबन्ध के निर्देशानुसार दूध, दुग्ध पदार्थ, केन, क्रेट आने-जाने की डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट को प्रबन्ध के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- 30— सुरक्षा एजेन्सी परिसर में आवारा कुत्तों, बिल्ली एवं पशुओं को रोकने के लिये उत्तरदायी होगी। यदि ऐसा करने में वे विफल हुईं तो प्रबन्ध द्वारा प्रति प्रकरण रुपये 100/- का सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना किया जाकर वसूल किया जावेगा।
- 31— संघ द्वारा निर्धारित चालान/गेटपास /मांगपत्र आदि से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं अन्य सामग्री प्रदाय की जाती है। इसी प्रकार संघ में प्राप्त भी होती है उसका समुचित रिकार्ड रखा जाना होगा। यह सत्यापित किये जाने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी कि जो सामान गेटपास/चालान /मांगपत्र आदि में लिखा गया है उतनी ही सामग्री जाने या आने से कम या अधिक मात्रा होने पर जबाबदारी ठेकेदार की होगी।
- 32— किसी भी सुरक्षाकर्मी की उम्र 25 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए एवं कार्य करने वाले सुरक्षाकर्मी की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिये। इस संबंध में प्रबन्धन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबन्ध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षा कर्मियों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 7.00 बजे से शाम 6.00 बजे के मध्य तक रहेगी।

सुरक्षा एजेन्सी, कर्मचारियों के लिये निम्न अर्हताएँ निर्धारित की जाती हैं :-

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| अ— सुरक्षा अधिकारी —    | एनसीओ, सूबेदार से कम रेक न हो अथवा समकक्ष   |
| ब— सुरक्षा पर्यवेक्षक — | नायक की रैंक से कम न हो अथवा समकक्ष।  |
| स— सुरक्षा गार्ड —      | एनसीसी प्रशिक्षित, आर.एस.एफ. जिसके पास प्रमाण पत्र एवं औद्योगिक सुरक्षा सेवा का अनुभव हो अथवा प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड 12 वीं पास |
| द— गनमैन —              | गन रखे जाने का लाइसेंसधारी एवं पुलिस/मिलिट्री से रिटायर होने पर प्राथमिकता  |
- 33— सुरक्षा एजेन्सी को ठेके के अन्तर्गत प्रदत्त सुरक्षा कर्मी अच्छे आचरण एवं चरित्र के देना होंगे। उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई सुरक्षा कर्मी डेयरी संयंत्र परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो सुरक्षा ठेकेदार को ऐसे सुरक्षा कर्मी को शीघ्र हटाना होगा। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/ सजायाफ़्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। सुरक्षा एजेन्सी को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व पुलिस विभाग से सत्यापन कराना होगा एवं प्रबन्ध से अनुमति लेनी होगी।
- 34— प्रत्येक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण वाहन में वितरण शीट/डी0एम0 में दर्शित मात्रा के अनुसार ही माल लोडिंग कराना सुरक्षा एजेन्सी को सुनिश्चित करना होगा। वितरण वाहन लोड होने के उपरान्त जांच करने पर यदि वाहन में दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मात्रा वितरण शीट/डी0एम0 से अधिक पाई जाती है तो अधिक पाये जाने वाली दूध एवं दुग्ध पदार्थ की मात्रा की 50 गुनी राशि सुरक्षा एजेन्सी से वसूल की जावेगी।
- 35— प्रबन्धन के निर्देशानुसार ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों की सामयिक चिकित्सा जाँच करवानी होगी। उसके स्वयं के व्यय पर तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये सुरक्षा कर्मियों को वर्ष में दो बार टिटनेश का इंजेक्शन ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबन्धन को दी जाना आवश्यक होगी। ठेकेदार को सुरक्षा कर्मियों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिये। कार्य के दौरान यदि कोई सुरक्षा कर्मी आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधाएँ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी।

36— श्रम नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम सुरक्षा कर्मियों को ठेकेदार द्वारा देना आवश्यक होगा । इसके लिये रिलीवर/एवजी की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी जिसके लिये प्रबन्धन द्वारा प्रथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा । पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ठेकेदार को सुरक्षा कर्मियों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुये मानव दिवस (**Mandays**) के अनुसार भुगतान किया जावेगा ।

37— सुरक्षा कर्मियों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली में निरन्तर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है । श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की पाली नियमानुसार बदले ऐसा न पाया जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

38— प्रबन्ध पक्ष के कार्यादेश क्रमांक ...../प्रशासन/दिनांक ..... द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को निम्नानुसार सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं :-

ए—	दुग्ध संयंत्र बानमोर	
	सुरक्षा अधिकारी	01
	सुरक्षा पर्यवेक्षक	03
	गनमैन	04
	सुरक्षा गार्ड	20
बी—	गोला का मंदिर कार्यालय/कॉलोनी	
	सुरक्षा गार्ड	03
	गनमैन	01
सी—	पेट्रोल पम्प	
	गनमैन	03
डी—	पशु आहार संयंत्र/शीत केन्द्र, शिवपुरी	
	सुरक्षा पर्यवेक्षक	01
	सुरक्षा गार्ड	03
	गनमैन	01

सुरक्षा ठेकेदार को मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम वेतन अनुसार सुरक्षा अधिकारी को कुशल, सुरक्षा पर्यवेक्षक एवं गनमैन को अर्द्धकुशल तथा सुरक्षा गार्ड को अकुशल श्रेणी की दर से भुगतान करना होगा ।

39— यदि सुरक्षा ठेकेदार एवं दुग्ध संघ के बीच अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसा विवाद आर्बीट्रेशन हेतु ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बन्धनकारी होगा । आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सीलेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत सन्दर्भित होगी ।

40— अनुबंध पत्र में उपरोक्त लिखी हुई शर्तों एवं कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है । यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो ठेका रद्द करने का अधिकार प्रबन्ध पक्ष को होगा तथा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी । इस अनुबंध के अतिरिक्त सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र में उल्लेखित विवरण/दिशा निर्देश इस अनुबंध का भाग माना जावेगा ।

41— संघ द्वारा उल्लेखित शर्तों का दृढ़ता के साथ परिपालन करना अति आवश्यक रहेगा । यदि अनुबंधकर्ता शर्तों का परिपालन करने में असफल/अनियमित पाया गया तो किसी भी बिना पूर्व सूचना के या बिना कारण दर्शाये अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुरक्षित रहेगा ।

42- ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के आदेश क्रमांक ...../ प्रशासन/ग्वासदुसं/2024 दिनांक ..... द्वारा सर्विस चार्ज ..... प्रतिशत (..... प्रतिशत) पर सुरक्षा ठेका आवंटित किया गया है ।

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए अनुबंध निष्पादित कर रहा हूँ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर	हस्ताक्षर श्रमिक ठेकेदार
स्थान -	नाम -
दिनांक -	
1. गवाह का नाम एवं पता .....	ग्वालियर कार्यालय का पता, दूरभाष, मोबाइल एवं फैक्स/ई-मेल .....
.....	.....
.....	.....
2. गवाह का नाम एवं पता .....	गवाह: 1. ....
.....	2. ....
.....	
.....	